रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 18, 1999/ज्येष्ठ 28, 1921
No. 349] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 18, 1999/JYAISTHA 28, 1921

विदेश मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 16 जून, 1999

का. आ. 462(अ).— भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 19 सितम्बर, 1996 में पृष्ठ 1 से 5 पर प्रकाशित भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 643 (अ) तारीख 19 सितम्बर, 1996 के पृष्ठ 3 पर अनुसूची में, —

(i) स्तंभ 2 में, क्रम सं० 61क के सामने " आर- 12 " के स्थान पर आर-12 (एस०बी०एम० ) " पढ़ें;

(ii) स्तंभ 3 में, क्रम सं० 66 के सामने " 19°40′ 23 " " के स्थान पर " 18°40′ 23 " " पढ़ें ;

(iii) स्तंभ 4 में, क्रम सं० 67 के सामने " 72°50′ 08 " " के स्थान पर " 71°50′ 08 " " पढ़ें ।

[सं. एफ. एल. 111/2/94]

टी. एल. गिल, निदेशक (विधि एवं संधि प्रभाग)

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 16th June, 1999

S.O. 462(E).— In the notification of the Government of India in the Ministry of External Affairs number S.O. 643 (E), dated the 19th September, 1996 published at pages 1 to 6 of the Gazette of India; Extraordinary, Part II-Section 3 Sub-Section(ii), dated the 19th September, 1996, at page 5, in Schedule,—

(i) against serial number 61A, in column 2, for "R-13" read "R-12-SBM";

(ii) against serial number 67, in column 2, for "MUKTA-1(B-57) read "MUKTA-A(B-57)".

[No. F. L-111/2/94]
T. L. GILL, Director (Legal and Treaties)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 1999

का. आ. 463(अ).— केन्द्रीय सरकार, राज्य क्षेत्रीय सागर-खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, आनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) की धारा 6 की उप-धारा (5) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड(ii) और धारा 7 की उप-धारा (6) के खंड (ख) के उप-खंड (iii) के अनुसरण में, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की तारीख 19 सितम्बर, 1996 की अधिसूचना का.आ. 643 (अ) के अधीन घोषित अभिहित क्षेत्रों के भीतर, भारतीय नौसैनिक पोतों और तटरक्षक पोतों या ऐसे अन्य पोतों को छोड़कर, जिन्हें इस संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव अथवा उनके द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट रूप में प्राधिकृत किया गया है, किसी भी पोत के प्रवेश का प्रतिषेध करती है ।

2. पैरा 1 में अन्तर्निहित प्रतिषेध किसी ऐसे पोत पर लागू नहीं होगा जो –

(क) उक्त अभिहित क्षेत्रों में अथवा उनके सन्निकट क्षेत्रों में किसी उप-समुद्री केबल